भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

# INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AC 417255

[illegible] के साथ संलग्न है

## नियमावली(संशोधित)

1. संस्था का नाम : बापू शिक्षा समिति
2. संस्था का पूरा पता : ग्राम व पोस्ट–नटवां जंगल, तहसील–सदर, जिला–महराजगंज।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का उद्देश्य : जैसा कि स्मृति पत्र में दिया गया है।
5. संस्था की सदस्यता : संस्था के उद्देश्यों, नियमों में निष्ठा रखने वाले सदस्यों की सदस्यता की शर्ते निम्नवत होगी –

1. आजीवन सदस्य –
संस्था के उद्देश्यो एवं नियमों में निष्ठा व्यक्त करते हुए संस्था के हित में कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्तियो के द्वारा सदस्यता हेतु 25000/–या इससे अधिक शुल्क को बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा किये जाने पर प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के उपरान्त इस वर्ग की सदस्यता प्रदान की जा सकेगी। इस वर्ग के सदस्यो की सदस्यता आजीवन सदस्य होगी।
2. साधारण सदस्य –
कोई भी व्यक्ति संस्था के सदस्यता हेतु 1000/–रूपया वार्षिक शुल्क जमा करने पर संस्था का साधारण सदस्य बनाया जा सकेगा। संस्था के इस कोटि के सदस्य लगातार 5 वर्ष तक सदस्य बने रहने के उपरान्त ही मतदान में भाग ले सकेंगे तथा इस वर्ग के सदस्यों के द्वारा 2 वर्ष का नियमित शुल्क न दिये जाने पर उनकी सदस्यता स्वयमेव समाप्त समझी जायेगी।
3. विशिष्ट सदस्य –
सदस्यता हेतु 11000/–या इससे अधिक शुल्क बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से देने वाले व्यक्ति संस्था के विशिष्ट सदस्य होंगे। संस्था के हित में प्रबन्ध समिति द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ व्यक्तियों को बिना शुल्क के भी संस्था के विशिष्ट सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकेगा। इस वर्ग के सदस्यो जिनकी अधिकतम संख्या 7 होगी।
4. सदस्यता की समाप्ति –

अ) निम्नलिखित दशाओं में सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी –

1– मृत्यु हो जाने पर।
2– पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3– निर्धारित अवधि पर शुल्क न जमा करने पर।
4– लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
5– त्याग पत्र देने या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।

ब) संस्था के उद्देश्यों के विपरीत आचरण करने अथवा संस्था के किसी पदाधिकारी से अभद्रता किये जाने पर या संस्था के हितों के विपरीत कार्य करने पर किसी सदस्य की सदस्यता प्रबन्ध समिति द्वारा अपने सामान्य बहुमत से निरस्त की जा सकेगी।

स) किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर उसे अपने पद से तत्काल मुक्त समझा जायेगा।

द) संस्था की सदस्यता से सम्बन्धित शुल्क मंत्री/प्रबन्धक के पास जमा होगा और सदस्यता के सम्बन्ध में मंत्री/प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित रसीद ही मान्य होगी।

6. संस्था के अंग –

अ) साधारण सभा,

ब) प्रबन्ध समिति/प्रबन्धकारिणी समिति

साधारण सभा –

गठन –

साधारण सभा का गठन नियम–5 में दिये गये सदस्य मिलकर करेंगे।

बैठक –

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है। संस्था से सम्बन्धित बैठक के आयोजन के लिए मंत्री/प्रबन्धक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे और संस्था के सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में मंत्री/प्रबन्धक के स्तर से आयोजित बैठक को किसी सदस्य द्वारा प्रश्नगत नही बनाया जा सकेगा।

सूचना अवधि –

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 1 दिन पूर्व दी जायेगी।

गणपूर्ति –

साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या के दो–तिहाई (2/3) सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी, परन्तु स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति का प्रतिबन्ध नहीं होगा।

वार्षिक अधिवेशन की तिथि –

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर किया जायेगा, जिसका निर्णय प्रबन्ध समिति करेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य –

1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4. संशोधन प्रक्रिया दो तिहाई बहुमत से पारित करना।
5. संस्था का नीति निर्धारित करना।
6. प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तुत विषयों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करना।
7. संस्था के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उपसमिति का गठन करना तथा उसके व्यवस्था के लिए उपनियमों व विनियमों का निर्धारण करना और अतिरिक्त प्राविधानों का भी निर्धारण समय–समय पर आवश्यकतानुसार करना।
8. संस्था में अनुशासन बनाये रखने हेतु आवश्यक प्रस्ताव को स्वीकृति देना तथा अन्य सभी कार्य करना जो संस्था की प्रगति में सहयोगी हों।

7. प्रबन्ध समिति –

गठन–

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्ध समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, मंत्री/प्रबन्धक, उपप्रबन्धक एवं सहायक प्रबन्धक सहित 6 पदाधिकारियों के अतिरिक्त 11 निर्वाचित सदस्य रहेंगे। इस प्रकार प्रबन्ध समिति में पदाधिकारियों एवं सदस्यों की कुल संख्या 17 होगी। भविष्य में आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों व सदस्यों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकेगा। संस्था में पदाधिकारियों का निर्वाचन मूलतः बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

बैठकें –

प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठक साल में दो बार एवं विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि–

प्रबन्धसमिति के सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सात दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी।

गणपूर्ति –

प्रबन्धसमिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या की 2/3 उपस्थिति आवश्यक होगी, स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति–

प्रबन्धसमिति के अन्दर रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति प्रबन्ध समिति के उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा अध्यक्ष की संस्तुति पर शेष काल के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से की जाएगी।

प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य –

1. संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट एवं बजट साधारण सभा से अनुमोदित कराना।
3. संस्था के क्षेत्र को बढ़ाना और घटाना एवं आवश्यकतानुसार कार्यालय का स्थानान्तरण करना।
4. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उप समितियों का गठन करना तथा गठित उपसमिति के कार्यों को निर्धारित करने के लिए उपनियम विरचित करना।
5. संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं कार्यों के सुगम संचालन हेतु संस्था का कार्यालय अन्य स्थानों पर खोलना।
6. कर्मचारियों के नियुक्ति एवं निष्कासन को अनुमोदित करना।
7. संस्था के हित के लिए योजनाएं बनाना एवं क्रियान्वित करना।
8. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चंदा, दान, अनुदान व्यक्तियों एवं संस्थाओं व स्थानीय निकायों, सरकारी, गैर सरकारी विभागों से सहायता प्राप्त करना तथा व्यक्तियों, संस्थाओं एवं बैंको से ऋण व अनुदान प्राप्त करना और इस प्रकार के कार्यों सम्पादित करने के बावत बन्धपत्रों इत्यादि को निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना।
9. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चल एवम् अचल सम्पत्ति का अर्जन, संग्रह व्यवस्था, संरक्षण विनियोजन, विनिमय, क्रय, विक्रय, लाभ हेतु पूँजी लगाना।

कार्यकाल –

प्रबन्ध समिति का गठन पांच वर्ष के लिए होगा।

8. **प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–**

अध्यक्ष –

1. संस्था के मुख्य अभिभावक के रूप में कार्य करना।
2. संस्था से सम्बन्धित विवाद के निस्तारण के लिए आवश्यक, प्रयास करना तथा संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के कार्यो की समीक्षा कर संस्था हित में आवश्यक सुझाव प्रदान करना।
3. संस्था के सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
4. किसी प्रस्ताव पर समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
5. प्रबन्धकारिणी समिति की ओर से इसके समस्त पदाधिकारियों में कार्यों का विभाजन करना और आवश्यकतानुसार दायित्वों को सौंपना तथा अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से सरकारी, गैर सरकारी विभागों तथा संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।

उपाध्यक्ष –

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करना तथा उनके कार्यों में नियमानुसार सहयोग करना।

कनिष्ठ उपाध्यक्ष –

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष को प्राप्त अधिकारों का उपयोग करना।

मंत्री / प्रबन्धक–

1. संस्था से सम्बन्धित आयोजित बैठकों की सूचना सदस्यों को प्रदान करना।
2. संस्था के सुचारू संचालन में अध्यक्ष का सहयोग करना।
3. समस्त बिल व बाउचरों पर हस्ताक्षर करना तथा संस्था की सदस्यता से सम्बन्धित शुल्क प्राप्त करना।
4. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
5. संस्था के आय–व्यय का विवरण तैयार कर उसे स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।
6. संस्था के वित्तीय हितों की देख–रेख करना।
7. संस्था की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही करना।
8. संस्था के सदस्यों व पदाधिकारियों द्वारा अनैतिक एवं संस्था विरोधी कार्य किए जाने पर उन्हें अध्यक्ष एवं प्रबन्धसमिति के अनुमोदन पर निष्कासित करना।
9. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों तथा समाज सेवी संस्थाओं से दान, अनुदान व ऋण प्राप्त करना तथा इससे सम्बन्धित विलेखों को प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के अनुसार संस्था की ओर से हस्ताक्षरित करना।
10. बैठक की कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना तथा अन्य अभिलेख तैयार करना और उसकी सुरक्षा करना।
11. कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनवृद्धि एवं निष्कासन प्रबन्ध समिति के निर्देशानुसार करना।

उपप्रबन्धक–

मंत्री/प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये दायित्वों को पूर्ण करना और उक्त पद पर किसी आकस्मिक रिक्ति होने की स्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग प्रबन्धसमिति के अनुमोदन से करना।

सहायक प्रबन्धक–

मंत्री/प्रबन्धक एवं उपप्रबन्धक की अनुपस्थिति में मंत्री/प्रबन्धक के दाय़ित्वों को पूर्ण करना।

9. संस्था का कोष –

संस्था की सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी, जिसे मंत्री/प्रबन्धक प्रबन्ध समिति के नियन्त्रण में रहते हुए संस्थार्थ व्यय अथवा उपयोग या तत्समय कोई भी वैध कार्य संस्था की ओर से करेगा। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क, दान, अनुदान एवं सरकारी, अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों से ली गयी राशियां निहित होंगी। संस्था का खाता किसी राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक में खोला जायेगा, जिसका संचालन मंत्री/प्रबन्धक के द्वारा प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अधीन एवं उसके निर्देशानुसार किया जायेगा।

10. लेखा परीक्षण –

संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) किसी अनुमोदित मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षक अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराया जा सकेगा।

11. अदालती कार्यवाही –

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व मंत्री/प्रबन्धक का होगा।

12– संस्था के अभिलेख –

संस्था के अभिलेखों को तैयार करने तथा उसके रख–रखाव व सुरक्षा का दायित्व मंत्री/प्रबन्धक का होगा, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित अभिलेख रखेगा–

क) सदस्यता रजिस्टर,    ख) कार्यवाही रजिस्टर

ग) सूचना रजिस्टर,    घ) कैश बुक आदि

13. नियमों में संशोधन –

संस्था के नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किये जाने पर साधारण सभा के 2/3 बहुमत से उसे स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

14. संस्था का विघटन –

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा–13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक : ............

सत्य प्रतिलिपि

प्रतिलिपि कर्ता ......

मिलान कर्ता ...... 245774

सत्य – प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर